

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति - यथा पंजी।

विकास की मासिक समीक्षात्मक बैठक प्रारंभ करने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चितता हेतु स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पदाधिकारियों के साथ संक्षिप्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न निदेश दिये गये :-

**परिवार नियोजन पखवारा (11-21.07.2013)**

1. विदित हो कि दिनांक 11.07.2013 से 21.07.2013 तक विभागीय निदेश के आलोक में परिवार नियोजन पखवारा कार्यक्रम आयोजित है जिसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए उक्त कार्यक्रम से संबंधित कार्यों की रूपरेखा से अवगत कराते हुए निदेश दिया गया कि यथासमय सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से पूर्ण कर लिए जाएँ।
2. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभिन्न स्वास्थ्यपरक योजना मद में उपावंटित राशि के विरुद्ध व्ययोपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे, ताकि विभाग से आवंटन की मांग यथासमय की जा सके।
3. बैठक में उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखंड द्वारा अवगत कराया गया कि उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर द्वारा आशा/ए0एन0एम0 कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान हेतु वांछित राशि से कम राशि उपलब्ध कराया जाता है, जिसके अनुसार सभी कार्यरत कार्यकर्ताओं को राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। इन्हीं कारणों से उनमें मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तथा वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतती हैं। इस निमित्त सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेशित किया गया कि चूँकि पूर्व की मासिक स्वास्थ्य समीक्षा बैठक में इस तरह की शिकायत भी अन्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उठाई गई थी। अतएव आशा/ए0एन0एम0 को समय पर मानदेय भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर को दिया गया।

**नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना :-**

4. नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी योजनान्तर्गत जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी/विद्यालयों में अध्ययनरत/नामांकित 0-18 वर्ष के छात्रों की स्वास्थ्य जांच कर स्वास्थ्य कार्ड दिया जाना है तथा स्वास्थ्य जांच के क्रम में गंभीर बीमारी होने पर ईलाज हेतु उच्च अस्पताल में स्थानान्तरण करने का प्रावधान किया गया है। यह कार्य सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 के संयुक्त पर्यवेक्षण में पूर्ण कराया जाना है। अतः उपरोक्त तीनों पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपनी अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित कर योजना की सफलता हेतु निर्णित निर्णय संबंधी कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही किसी एक wing, यथा, क्रमशः आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालय, कस्तूरबा बालिका विद्यालय को केन्द्रित करते हुए कार्य प्रारंभ कराया जाए ताकि उक्त योजना के मूलभूत उद्देश्य का अक्षरशः आच्छादन प्राप्त किया जा सके।



